माननीय उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रभारी खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रियों की दिनांक 21 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का कार्यवृत्त

1. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 21 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। **प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I पर है।**

2. बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए सचिव (उपभोक्ता मामले) ने कहा कि सन् 2014 में वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद यह लगातार तीसरी परामर्शी बैठक है। उन्होंने, आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति को संचालित करने वाले मुद्दों के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को संसूचित विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए पिछले दो अवसरों पर स्थापित किए गए उत्कृष्ट मापदंडों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता, पूरे देश में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में चर्चा करने का सुझाव दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि कीमतों, विशेषकर दालों की और इसके बाद चीनी की कीमतों में स्थिरता लाने की दृष्टि से अगले छह महीने काफी संवंदनशील हैं, जिनके दौरान कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आते हैं। सरकार इस बात को जानती है कि मंहगाई से समाज का निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा 22 आवश्यक वस्तुओं की मीतों की निगरानी दैनिक आधार पर की जा रही है। एक अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठकें साप्ताहिक रूप से आयोजित की जाती हैं, जो मंत्रालयों के बीच कार्रवाई का समन्वय करता है। प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए, सचिव (उ.मा.) की अध्यक्षता में गठित एक समूह की बैठकें माह में दो बार आयोजित की जाती हैं जिनमें जमाखोरी,चोरबाजारी, गुटबंदी, सट्टेबाजी और इसी प्रकार के कृत्यों के विरूद्ध प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई पर चर्चा की जाती है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से बाज़ार हस्तक्षेप के रूप में और आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई को कड़ा बनाकर विभिन्न मोर्चों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन से इन मुद्दों पर आगे आने का अनुरोध किया।

3. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह (सम्माननीय अतिथि), ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि इसे कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या अब 12 से बढ़कर 33 हो गई है। उन्होंने देश में 50 वर्ष पहले पड़े सूखे को याद करते हुए कहा कि उससे तीन फसलें नष्ट हो गई थीं। वर्ष 2015-16 में भी हमें उसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। फिर भी वर्ष 2015-16 के तीसरे अनुमान यह दर्शाते हैं कि कृषि उत्पादों का समग्र उत्पादन वर्ष 2014-15 से अधिक होगा। कृषि बाजार के सम्बन्ध में उन्होंने सूचित किया कि इस वर्ष सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी और ए0पी0एम0सी0 अधिनियम पर चर्चा की गई। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि कृषि मंडियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं

मिलता। चालू वर्ष में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0) के तहत बजटीय आबंटन को बढ़ा दिया गया है और मंत्रालय द्वारा 18-20 बडी सिंचाई परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा कर लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 12,517/- करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की मदद से 20,000 करोड़ रूपए की एक कायिक निधि की स्थापना की गई है। यह सरकार सभी 89 परियोजनाओं को पूरा करना चाहती है ताकि कृषि योग्य प्रत्येक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी और देश के 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान 4.75 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण करने में राज्यों के सहयोग पर सन्तोष व्यक्त किया। वर्ष 2016-17 के दौरान इस कार्य-निष्पादन में और अधिक वृद्धि होगी।

उन्होंने किसानों को मिलने वाली बाजार सुविधाओं में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर जोर दिया। प्रथम, लाइसेंस प्रणाली। मंडी वार लाइसेंस की बजाय एक पूरे राज्य के लिए एक ही लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे, बाजार उपकर केवल एक ही स्थान पर लिया जाना चाहिए। तीसरे, ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि विभिन्न मंडियों/राज्यों से प्राप्त जानकारी प्रत्येक किसान को मिल सके।

खाद्यान्नों की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने बताया कि हालांकि मौसमी परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी देश में आवश्यकता से चार गुना अधिक मात्रा में गेहूं का बफर स्टॉक है। दालों के संबंध में उन्होंने एफ.सी.आई., नैफेड, एस.एफ.ए.सी. इत्यादि की सहायता से बफर स्टॉक के सृजन का जिक्र किया। इसे 500 करोड़ रुपये से आरंभ किया गया था ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखने हेतु बाजार हस्तक्षेप के लिए राज्यों के पास कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सके। उन्होंने सूचित किया कि राज्यों को 5 बार लिखे जाने के बावजूद भी केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उत्तर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने, दालों के सट्टा व्यापार, कृत्रिम उपलब्धता और जमाखोरी पर चिंता व्यक्त की क्योंकि पिछले वर्ष चलाए गए जमाखोरी रोधी संचालनों के दौरान दालों की जब्त की गई मात्रा, सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा के 10 गुना से अधिक थी।

उन्होंने सभी राज्यों से मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता का उपयोग करने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा दालों और खाद्य तिलहनों के खेतों का प्रदर्शन करने के लिए पहली बार निधियां उपलब्ध कराई गई हैं चूंकि पहले ये राज्यों पर निर्भर करता था। आर.के.एस.एम. में, 475 कृषक विकास केंद्रों के माध्यम से, सभी राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। दालों के संबंध में दलहन एडवांस प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभ में 100 कृषक विकास केंद्रों में दलहन बीज केंद्रों का सृजन किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 150 किया जाएगा। बीजों की मौसम अनुकूल और सूखा रोधी किस्में विकसित की गई हैं। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी राज्यों से एन.एफ.एस.एम. के अंतर्गत दी जाने वाली निधियों का उपयोग करने की अपील की।

4. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने अपने उदघाटन भाषण में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार और व्यापारियों तथा मध्यस्थों द्वारा गुटबंदी के कारण दालों, चीनी, खाद्य तिलहनों इत्यादि जैसी विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आंशिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने

इंगित किया कि व्यापारियों द्वारा किसी वस्तु का स्टॉक ऐसे सीमावर्ती राज्यों में जमा कर लिया जाता है जहां पर स्टॉक सीमाएं नहीं लगाई गई हैं। अत:, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्टॉक सीमाएं लगाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सिफारिश भी की कि स्टॉक की उपलब्धता के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, दालों के आयातकों को उपभोक्ता मामले मंत्रालय के पोर्टल या राज्य सरकारों के पोर्टलों जैसे सार्वजनिक मंचों पर स्टॉक की स्थिति प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी एजेंसियों को बफर स्टॉक बनाने के लिए दालों का आयात करने हेतु समय-समय पर निविदाएं आमंत्रित करने की अपेक्षा दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध करने चाहिए। उन्होंने राज्यों से, मिलरों, आयातकों तथा डीलरों के लिए दालों की स्टॉक सीमाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा। उपभोक्ता राज्यों तथा अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों के लिए अलग से तार्किक एवं वैज्ञानिक स्टॉक सीमा होनी चाहिए ताकि आपूर्ति श्रृंखला तंत्र सुचारू बना रहे और दालें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि कमी वालीअवधि के दौरान दालों को वैट तथा अन्य स्थानीय करों से छूट प्रदान की जाए क्योंकि इससे इनकी कीमतों में 5 से 7 प्रतिशत की नरमी आ सकती है।

चीनी की कीमतों के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध करते हुए लिखा है कि घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों द्वारा रिलीज की जाने वाली और स्टॉक में रखी जाने वाली चीनी पर गहन निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादनबद्ध निर्यात प्रोत्साहन को अब बीच में ही वापिस ले लिया गया है। राज्यों से प्रभावी रूप से स्टॉक सीमा कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार दालों एवं प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रही है। अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 50,000 मीट्रिक टन खरीफ दलहन तथा लगभग 25,000 मीट्रिक टन रबी दलहन की अधिप्राप्ति कर ली गई है और 26,000 मीट्रिक टन का आयात करने हेतु समझौता किया गया है। इसमें से 10,000 मीट्रिक टन दलहन उन राज्यों को आबंटित की जा चुकी है जिनसे मांग प्राप्त हुई थी। भावी आबंटन के लिए अन्य राज्यों के अनुरोध प्रतीक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मूल्य संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए और बाजारों को शामिल करने मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर पर मूल्य निगरानी तंत्र की स्थापना करें और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई भी करें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अब 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 72 करोड़ लोग सब्सिडीकृत दरों पर अर्थात 2/-रु0 प्रति किलोग्राम की दर से गेंहू तथा 3/-रु0 प्रति किलोग्राम की दर से चावल पाने के पात्र हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अब राज्यों को खाद्य सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टी0पी0डी0एस0 का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण इस कार्य में अवश्य सहायक होगा। अब तक आधार के तहत कवर की गई कुल 83 प्रतिशत जनसंख्या में से लगभग 56 प्रतिशत का राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ जुड़ गया है। देश भर में बायोमीट्रिक उपकरण लगाकर उचित दर की 1,15,909 दुकानों को स्वचालित किया गया है और मार्च,2017 तक यह संख्या बढ़कर 3,06,526 हो जाने की संभावना है। लगभग 1.62 करोड़ अपात्र राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार 10,000 करोड़ रु0 के खाद्यानों को पात्र लोगों तक पहुंचाया गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि जिन राज्यो में खाद्यान्नों का ऑनलाईन आबंटन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है वहां दो महीनों के अंदर-अंदर उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का ऑनलाईन आबंटन सुनिश्चित करने का निर्णय भी लिया गया था। अब तक 25 राज्यो में ऐसा किया जा चुका है। राज्यों से उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के ऑनलाईन प्रापण के लिए तैयारी में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया। किसानों के मोबाईल नम्बर पंजीकृत होने चाहिए तथा सिस्टम द्वारा तैयार चैक को सीधे ही जमा कराने के लिए उनके बैंक के खाते की संख्या भी ली जानी चाहिए। शेष गैर-डी0सी0पी0 राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे डी0सी0पी0 ऑपरेशन शुरू करें क्योंकि यह खाद्य सब्सिडी को बचाने में, अधिप्रापण तथा सार्वजनिक वितरण की प्रभावकारिता को बढ़ाने में तथा स्थानीय प्रापण को अधिकतम हद तक प्रोत्साहित करके एम0एस0पी0 के लाभों को स्थानीय किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने गेहूं और चावल, दोनों के लिए अगले 4-5 वर्षों में तीन चरणों में 100 एल0एम0टी0 क्षमता के स्टील के सिलो के निर्माण हेतु एक रोड मैप को अनुमोदित कर दिया है। ऑपरेशन्स की मॉनीटरिंग के लिए 30 एफ0सी0आई0 डिपो में प्रायोगिक आधार पर **डिपो ऑनलाईन** स्कीम पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस वर्ष जुलाई तक सभी 554 डिपो ऑनलाईन हो जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खाद्यान्न प्रबंधन बेहतर होगा। उन्होंने अपील की कि कान्फ्रेंस द्वारा यथानिर्णित, सभी राज्य सरकारें उचित दरों पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित रूप से कार्य करेंगी।

उन्होंने बताया कि पी0एस0एफ0 के तहत बफर स्टॉक के लिए 50,000 टन तूर तथा 5000 टन उड़द की अधिप्राप्ति पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों में सामंजस्य बनाने पर बल दिया।

5. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा आवश्यक वस्तु विनियम एवं प्रवर्तन पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तिका प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोग करने के लिए है।

6. विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुतिकरण

बैठक में भाग लेने वाले केन्द्र सरकार के तीनों विभागों ने संवितरण एवं आपूर्ति को बेहतर बनाने और अधिनियम को लागू करने के लिए स्वयं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और भावी कार्ययोजनाओं पर प्रस्तुति दी। श्री के0 श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने दालों की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रस्तुति दी। विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

सुश्री चंद्रलेखा मालवीय, प्रधान सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग ने विभाग द्वारा मॉनीटर की जा रहीं 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मूल्य प्रवृत्तियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बताया। प्रस्तुति का विवरण **अनुलग्नक-III** पर है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रस्तुति सुश्री वृंदा सरूप, सचिव द्वारा दी गई। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावों के बारे में बताया। यदि राज्य इसका अनुपालन करने में पीछे रह जाएंगे तो यह न्यायालय की अवमानना का मामला भी बन सकता है। उन्होंने सभी राज्यों को अपेक्षित समय सीमा के अंदर-अंदर निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला शिकायत प्रतितोष अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग की

नियुक्ति करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी राज्यों को दिसम्बर तक सभी राशन कार्डों को आधार नम्बर के साथ जोड़ने, एफ0सी0आई0 के गोदाम से लाभार्थी तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाकर लीकेज और घृणित गतिविधियों को तत्काल ही रोकने, सम्पूर्ण खाद्यान्न प्रबंधन सुनिश्चित करने, उचित मूल्य की दुकानों को आधुनिकतम बनाने, रबी के अगले मौसम तक डी0सी0पी0 को स्थानांतरित करने, खाद्यान्नों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भंडारित करने के लिए भंडारण क्षमता को बेहतर, आधुनिक एवं अद्यतन बनाने और सभी राज्यों द्वारा पारदर्शी एवं प्रभावी अधिप्राप्ति के लिए किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण करने और सॉफ्टवेयर विकसित करने के बारे में बात की। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रस्तुति का विवरण **अनुलग्नक-IV** पर है।

7. केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा कार्यसूची की मदों पर विस्तृत चर्चा :

यह उल्लेख किया गया कि :

1. दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अन्तर को पूरा करने के प्रबंधों की अपेक्षा दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से दालों का आयात करने की योजना बनाने की आवश्यकता है।
2. शीघ्र नष्ट होने वाली और शीघ्र नष्ट न होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाए जाने तथा उसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। विशेषकर, शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य की कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. आयातित दालों को, सम्बन्धित अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त, अकारण ही लम्बे समय तक बंदरगाह पर जमा रखने की अनुमति न दी जाए।
4. दालों से सरोकार रखने वाले हमारे किसानों, व्यापारियों और सरकारी एजेन्सियों द्वारा भारत में विपणन के लिए कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे देशों में दालों का उत्पादन करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता है।
5. दालों पर स्टॉक सीमाएं प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं, कुछेक राज्यों द्वारा स्टॉक सीमाएं अधिरोपित ही नहीं की गई हैं,जबकि कुछ राज्यों में यह बहुत ही कम और कुछ राज्यों में बहुत अधिक हैं। इन्हें एक-समान और तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।
6. कृषि-उत्पादों पर लिए जाने वाले बहु-स्तरीय मार्केट शुल्क से खरीद की लागत और बिक्री की लागत में बढ़ोतरी होती है और इससे किसानों को भी असुविधा होती है। अत:, एक राज्य में एक ही स्थान पर मार्केट शुल्क लिए जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
7. खुले बाज़ार में दालों और खाद्य तेलों/तिलहनों की कीमतों में कमी लाने के लिए उन्हें करों से छूट प्रदान करनी होगी।
8. ई-राष्ट्रीय विपणन की सुविधा के लिए सभी राज्यों द्वारा कृषि विपणन कानूनों में सुधार किए जाएं।
9. किसानों को मूल्य-प्रवृतियों, उपलब्धता इत्यादि की स्थिति की जानकारी देने के लिए विभिन्न विपणन केन्द्रों पर ई-विपणन मंच उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।
10. दालों के आयातकों को - आयातित मात्रा, कब आयात की गई, आयातित मात्रा की दर और घरेलू बाज़ार में उसका निपटान कब और कैसे किया जाएगा - का प्रकटीकरण करना चाहिए।
11. वास्तविक समय-आधार पर बाज़ार हस्तक्षेप सुनिश्चित करन और कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए राज्यों द्वारा अपने स्वयं के मूल्य स्थिरीकरण कोष और दालों के बफर स्टॉक का सृजन किए जाने की आवश्यकता है।

12. दालों और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आंकड़ों को संग्रहित करने, उनकी जांच करने, उनका प्रसार करने और मांग तथा आपूर्ति, मूल्य प्रवृतियों, सट्टेबाजी, धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार, कृत्रिम कमी, जमाखोरी, गुटबंदी और चोरबाजारी सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पेशेवर स्वतन्त्र एजेन्सी को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, केन्द्र से जिलों तक का आसूचना तन्त्र सुदृढ़ होगा। राज्यों द्वारा कीमतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दैनिक आधार पर, शनिवार एवं रविवार को भी भेजी जानी चाहिए।
13. राज्यों को, सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष के अन्तर्गत अधिप्राप्त की गई दालों की पूरी मात्रा का उठान करना चाहिए और बाज़ार हस्तक्षेप के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि दालों की कीमतों को उचित स्तर तक कम किया जा सके।
14. दालों के सम्बन्ध में झा समिति की सिफारिशों की जांच करने की आवश्यकता है।
15. राज्यों द्वारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक नजरबंदी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिए सभी राज्यों द्वारा पुलिस व्यवस्था का तमिलनाडु मॉडल अपनाया जा सकता है।
16. बफर स्टॉक से उठान की गई दालों की मिलिंग और भंडारण के प्रबंध राज्यों द्वारा स्वयं करने होंगे।
17. जैसा कि कुछेक राज्यों द्वारा किया जा रहा है, सभी राज्य दालों के डीलरों के साथ नियमित बैठकें करेंगे और उन कीमतों का निर्धारण करेंगे जिन पर दालें मुख्य उपभोक्ताओं को बेची जा सकेंगी।
18. संघ और राज्य सरकारों तथा अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और सम्पर्क अपेक्षित है। क्योंकि कृषि मंत्रालय का संबंध खाद्य वस्तुओं के उत्पादन से है, अत:, इसके लिए केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय के मंत्रियों/ अधिकारियों तथा राज्य सरकार का सम्पर्क होना आवश्यक है। अत:, परामर्शी बैठकों का आयोजन वर्ष में एक की बजाय दो बार किया जाना अपेक्षित है।

8. वर्ष के लिए निम्नलिखित कार्रवाई योजना के साथ पूर्वाह्न सत्र का समापन हुआ;

1. राष्ट्रीय परामर्शी बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा और कृषि मंत्रालय से मंत्रियों और अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।
2. दालों और खाद्य तिलहनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए दालों और खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढाने वाले कार्यक्रमों को तत्परता से कार्यान्वित किया जाएगा। .
3. सरकार, बफर स्टॉक के सृजन के लिए समय-समय पर आयात हेतु निविदाएं जारी करने के स्थान पर दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए अनुबन्ध करेगी।
4. शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए शीतगृह श्रृखंला की क्षमता को बढ़ाकर और ऐसी वस्तुओं के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु उसका उन्नयन करके उसे मजबूत बनाया जाएगा।
5. आयात की गई पूरी मात्रा को उतराई के बाद घरेलू बाजार में पहुंचाने के लिए राज्यों द्वारा 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। दालों के आयातकों द्वारा भी स्टॉक की स्थिति को पारदर्शी रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
6. राज्यों द्वारा दालों पर लगाई गई स्टॉक सीमाओं को मिलरों, आयातकों और डीलरों के लिए तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। उपभोगकर्ता राज्यों और आधिक्य वाले राज्यों के लिए अलग प्रकार की तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक स्टॉक सीमाएं होनी चाहिएं ताकि आपूर्ति श्रृंखला तन्त्र सुचारू रूप से कार्य कर सकें और दालें उचित मूल्यों

पर उपलब्ध हों सकें। राज्यों द्वारा किसी प्रकार की स्थानीय परिस्थितियों के अध्यधीन, स्टॉक सीमाएं अधिरोपित करने के संबंध में निम्नलिखित व्यापक व्यवस्था के अनुसार विचार किया जा सकता है:

डीलर	बस्तु	स्टॉक सीमा	
मिलर: (पिछले 3 वर्षों के दौरान उपयोग की गई मिलिंग क्षमता का औसत)	कच्ची दालें	**उत्पादक राज्य**	**उपभोगकर्ता राज्य**
		कटाई के दौरान (अप्रैल से जुलाई) 2-3 माह, धीरे-धीरे कम करके 2 माह और फिर एक माह तक।	1 से 11/2 माह (अप्रैल से जुलाई) धीरे-धीरे कम करके 15 दिन।
	मिल्ड दालें	1 माह (अप्रैल से जुलाई)	1 माह
		15 दिन (अगस्त से मार्च)	15 दिन
व्यापारी	मीट्रिक टन	कोई आम राय नहीं बन सकी। तथापि, यह महसूस किया गया कि इस शर्त, कि किसी एक किस्म की 100 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा नहीं रखी जाएगी, के अध्यधीन अधिकतम 200 मीट्रिक टन (कच्ची अथवा/और मिल्ड दाल) रखने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य, स्थानीय कारकों को दृष्टिगत रखते हुए इन सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं।	

7. जहां कीमतों में कमी लाने की आवश्यकता है वहां राज्यों को दालों पर वैट और अन्य स्थानीय करों से छूट देने का प्रयास करना चाहिए।
8. राज्य को, कृषि उत्पादों पर मार्केट शुल्क के लिए राज्य में एकल प्वाईंट बनाने और दालों को करों से छूट देने का प्रयास करना चाहिए ताकि खुले बाज़ार में उनकी कीमतों में कमी लाई जा सके।
9. ई-राष्ट्रीय विपणन की सुविधा के लिए सभी राज्यों द्वारा कृषि विपणन कानूनों में सुधारों को यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए।
10. यदि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना पहले नहीं की गई है तो राज्यों को अपने स्वयं के मूल्य स्थिरीकरण कोषों और दालों के लिए अपने अलग बफर स्टॉक का सृजन करना चाहिए तथा कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए सही समय पर बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने चाहिएं।
11. उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा, प्रक्रियागत अपेक्षताओं को पूरा करने के उपरान्त, दालों और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आंकड़ों को संग्रहित करने, उनकी जांच करने, उनका प्रसार करने और मांग तथा आपूर्ति, मूल्य प्रवृतियों, सट्टेबाजी, धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार, कृत्रिम कमी, जमाखोरी, गुटबंदी और चोरबाजारी सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पेशेवर स्वतन्त्र एजेन्सी की सेवाएं ली जाएंगी।
12. राज्यों को, सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष के अन्तर्गत अधिप्राप्त की गई दालों की पूरी मात्रा का उठान करना चाहिए और बाज़ार हस्तक्षेप के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि दालों की कीमतों को उचित स्तर तक कम किया जा सके।
13. सभी राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, गुटबंदी, धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार और चोरबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी निवारक नज़रबंदी सुनिश्चित करने हेतु, सभी राज्य अपने यहां लागू करने के लिए - आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत- तमिलनाडु की पुलिस व्यवस्था की जांच करेंगे।

14. राज्य, बफर स्टॉक से उठान की गई दालों की मिलिंग और स्टॉक का प्रबन्ध स्वयं करेंगे और यह व्यवस्था करेंगे कि मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्राप्त दालों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर न बेचा जाए।
15. सभी राज्य दालों के डीलरों के साथ बैठकें करेंगे और उन कीमतों का निर्धारण करेंगे जिन पर दालें थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा व्यापारियों को और खुदरा व्यापारियों द्वारा मुख्य उपभोक्ताओं को बेची जा सकेंगी।
16. सभी राज्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम और विधिक माप विज्ञान अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्टें नियमित रूप से भेजेंगे। विधिक माप विज्ञान के तहत नियमों को अग्रता के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।
17. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आद्योपान्त कम्प्यूटरीकरण, डी.सी.पी.स्कीम, ऑन लाईन अधिप्राप्ति प्रणाली, सिलो कन्स्ट्रक्शन और अन्य सभी कार्यक्रम सभी घटकों सहित समयबद्ध तरीके से प्रभावी रूप में कार्यान्वित किए जाएंगे।.
18. घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा चीनी मिलों द्वारा रखे गए और रिलीज़ किए गए स्टॉक की गहन निगरानी की जाएगी।

9. अपराह्न सत्र के दौरान राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा:

क. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से सम्बन्धित मुद्दे- सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सुश्री वृंदा सरूप की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। चर्चा का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-V** पर है।

ख. उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित मुद्दे- सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, श्री हेम पांडे की अध्यक्षता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। चर्चा और निर्णयों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-VI** पर है।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 21.5.2016 को आयोजित, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक

प्रतिभागियों की सूची

I. केन्द्रीय सरकार

क. उपभोक्ता मामले विभाग

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	सम्पर्क विवरण
1.	राम विलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	
2.	हेम पांडे, सचिव (उपभोक्ता मामले)	
3.	चंद्रलेखा मालवीय, प्रधान सलाहकार	
4.	पी.वी रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले)	
5.	ए. के. चौधरी, आर्थिक सलाहकार	
6.	रविंद्र कुमार, निदेशक	
7.	बी.एन. दीक्षित, निदेशक	
8.	जाकिर हुसैन, निदेशक	
9.	बनी ब्रत रॉय, उप सचिव	
10.	के.सी. राउत, उप सचिव	
11.	सुरेंद्र सिंह, उप सचिव	
12.	एस.एस. ठाकुर, निदेशक	
13.	श्रीकुमारन, सलाहकार	
	अधीनस्थ संगठन	
	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	
14.	एस.बी. मौर्य, वैज्ञानिक एस.बी.	
15.	एम. बिस्वास, वैज्ञानिक एस.बी.	
16.	एस श्रीलयराज, वैज्ञानिक एस.बी.	
17.	मेमोल बोबेन, वैज्ञानिक एस.बी.	
18.	एस.पी. कालिया, वैज्ञानिक एस.बी.	
19.	बुद्ध प्रकाश, वैज्ञानिक, एसबीटी	
20.	नरेश गुप्ता, वैज्ञानिक एस.बी.	

21.	आर. अरोड़ा	
22.	बी. के. सिंह	
	एनसीसीएफ	
23.	प्रदीप निगम, सहायक प्रबन्धक (विधिक) .	
24.	ए.के. सिंह	
25.	विजय सिंह, सहायक प्रबन्धक	
26.	जी.पी. सिंह, सहायक प्रबन्धक	
27.	सुबोध कुमार, सहायक प्रबन्धक	
28.	एच.पी. सिंह	
29.	एम.पी. सिंह	
30.	हरदीप कौर	
31.	राजेश कुमार शर्मा	
32.	विजय सिंह, सहायक प्रबन्धक	
33.	जी.पी. सिंह, सहायक प्रबन्धक	
34.	सुबोध कुमार, सहायक प्रबन्धक	
	बीआईएस	
35.	सी.बी. सिंह, अपर महानिदेशक	23385625
ख. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग		
36.	सुश्री वृंदा सरूप, सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण)	
37.	प्रभास कुमार झा, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	9999604998
38.	टी.के. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव	
39.	रचना चोपड़ा, सलाहकार (लागत)	
40.	एन. शरण, आर्थिक सलाहकार	8826588300
41.	रमा कांत सिंह, निदेशक	23097050
42.	एम. के. गुप्ता, निदेशक	8017769450
43.	पंकज मिश्रा, प्रमुख परामर्शदाता	9873679031
44.	रूप सिंह, उप सचिव	
45.	जगदीश गोसाई, अवर सचिव	
46.	कुमारन मुरुगेसन, सी.पी.एम.यू.	
47.	पी. के. दाश	
48.	अमित कुमार रावत	
	अधीनस्थ संगठन	
	भारतीय खाद्य निगम	
49.	जी.एन. राजू, उप महाप्रबन्धक	
50.	यू.टी. दानी	

51.	आर. के. चतुर्वेदी, ईडी, बिक्री	
52.	सीमा कक्कड़, ईडी	
53.	दीपक सिन्हा, महाप्रबन्धक (निधि)	
54.	असीम छाबड़ा, महाप्रबन्धक आईटी	
55.	आर. मेंदीरता, महाप्रबन्धक (लागत)	
56.	पी. मुथुमारनम, महाप्रबन्धक (गुणता नियन्त्रण)	
57.	के.के.पालीवाल, महाप्रबन्धक (प्रोटोकॉल)	
58.	अभिषेक सिंह, ईडी	
	केन्द्रीय भंडारण निगम	
59.	यतिन पटेल, उप महाप्रबन्धक	
60.	जे.एस.कौशल, प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम	
61.	वी.आर. गुप्ता	
ग. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग		
62.	श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	
63.	के.एस.श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (विपणन)	
64.	विजय प्रताप सिंह, अवर सचिव	
65.	सुनील कुमार	
अधीनस्थ संगठन		
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय		
66.	बी.के. परुस्ती, उप सलाहकार (विपणन)	
67.	बी.के. तिवारी, उप ए.एम.ए.	
68.	डॉ0 एस.के.सिंह, उप ए.एम.ए.	
घ. वित्त मंत्रालय		
69.	नवीन कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.एफ.एम.एस.	
70.	विष्णु सिंह, पी.एफ.एम.	
ड़. वाणिज्य विभाग		
71.	सन्तोष सोरेन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	

II. राज्य सरकारें

क्रम सं.	नाम	कार्यालय का पता	सम्पर्क विवरण
1.	एन.सी. सेमवाल,	मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड।	9410587155
2.	अजय चौहान,	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तर प्रदेश।	894807855
3.	डॉ देवाशीष बसु	अपर। सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, त्रिपुरा	9402137297
4.	केशर सिंह,	उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान	9799050921
5.	सुश्री एम. सुधा देवी,	निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश	8894735555
6.	के.सी. गौड़	संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश .	9418127691
7.	शेर सिंह	संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश	9968653673
8.	समयू राय,	मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, झारखंड	9431105352
9.	पंकज जोशी	पी एस (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), गुजरात सरकार	9978405961
10.	नवीन कुमार,	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार	
11.	ऋचा शर्मा, सचिव,	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, छत्तीसगढ़ सरकार	
12.	सुनील देवासी,	कार्यक्रम नीति अधिकारी, नागरिक आपूर्ति आयुक्तालय, केरल	
13.	संजय एम कावल,	सचिव - खाद्य और नागरिक आपूर्ति, केरल	
14.	अरुणेश कांत,	प्रबंधक, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	
15.	संजय कुमार मुखर्जी	एनपीसीआई	
16.	प्रदीप नेगी	एनपीसीआई	
17.	सुआर्त मजूमदार	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, त्रिपुरा सरकार	
18.	पी.डब्ल्यू.इंगटि,	प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मेघालय	9436105253
19.	विल्फ्रेड खेलर्प	सचिव व निदेशक खाद्य, मेघालय	9863028845
20.	डॉ सुचिसनिता सेनगुप्ता पांडे	संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड।	9411110793
21.	अनीता सहाय	सचिव, जेएसएएमबी, झारखंड	9431563588
22.	आर.एन. मंगला,	सचिव, डीएएमबी, दिल्ली	9818316633

23.	एम. एच. खान	प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, मणिपुर	9917472900
24.	एस.एस. प्रसाद,	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा	8860150745
25.	डॉ ए शरत, आईएएस	एग्री मार्केट विभाग, तेलंगाना	
26.	सुश्री गीतांजलि गुप्ता	आवासीय आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश	8447000114
27.	एम. सुधादेन,	निदेशक (एफ एंड सीएस), हिमाचल प्रदेश सरकार	8894735555
28.	प्रवीण पारीक	सलाहकार, पीई.एमटी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश	
29.	शफीज़ ए.ए. रैना,	सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, जम्मू-कश्मीर	9419131617
30.	मोहम्मद फारूक	माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, जम्मू-कश्मीर के विशेष कार्य अधिकारी	9419137242
31.	मनोज प्रभाकर,	उप विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक, जम्मू-कश्मीर	
32.	लल्लू राम मीणा,	डीएसओ (मुख्यालय), खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान	9414663698
33.	असर पाल सिंह,	अपर आवासीय आयुक्त, केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप	9873869600
34.	डॉ एन.एस. कलसी,	अपर मुख्य सचिव, पंजाब	999997861
35.	शिव दास मीणा,	प्रधान सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, तमिलनाडु	9445030000
36.	डी.के. चक्रवर्ती	ईसीआईएल	7838666225
37.	वी0 के0 बालाकृष्णन	निदेशक, नागरिक आपूर्ति, केरल	9446404111
38.	पिंटो चुपेल लेपचा,	संसदीय सचिव, सिक्किम	
39.	एस. के. शिलाल,	सचिव, खाद्य, सिक्किम	
40.	पिंटो नामग्याल,	उप निदेशक, सिक्किम	9733271222
41.	श्रवंथ शंकर,	आयुक्त, नागरिक आपूर्ति निगम, तेलंगाना	9711211221
42.	अमजद टॉक,	आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, जीएनसीटी,दिल्ली	8130698269
43.	बी.आर. सिंह	सचिव, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य, गोवा	9075088399
44.	पी मल्लिकार्जुन राव,.	आयुक्त, कृषि विपणन, आन्ध्र प्रदेश सरकार	
45.	ए0 एस0 प्रसाद	प्रबन्ध निदेशक, एपीमार्कफेड, आन्ध्र प्रदेश सरकार	
46.	एस. बागारिया,	मंत्री जी के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
47.	रणबीर सिंह,	एजीएम (निर्यात), पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	
48.	एम. संजय,	उप निदेशक (नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले), अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	
49.	उमेश कुमार त्यागी,	निदेशक, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	
50.	ए कार्तिकेय,	निदेशक, कृषि, बिहार।	
51.	अलुन हेंगसिंग,	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नागालैंड	9936001998
52.	सी.डी. जोशी	मंत्री जी के निजी सचिव, महाराष्ट्र	

कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

1. Agriculture Marketing

- States enacted APMR Acts to regulate agri-market practices.
- However, the Mandis have become monopolistic & restrictive due to problems of
  - fragmentation, multiple licensing, multiple levy of fees, opaque bidding, information asymmetry, high incidence of market fees/other charges.
- Hence, DAC&FW advocating reforms.
- Model Act 2003, Model Rules 2007 and advisories from time to time.

Priority areas for Reforms

- The Seven major areas of reforms :
  - Establish Markets in private / cooperative sector
  - Direct marketing (direct purchase of produce from farmers by processors /exporters/ bulk buyers, etc out the market yard)
  - Contract Farming
  - Farmer - Consumer markets (direct sale by farmers to consumers) to be set-up by a person other than a Market Committee
  - E-Trading
  - Single point levy of market fee
  - Single license for traders

Status of Marketing Reforms

	States	Private Market	Direct Marketing	Contract Farming	E-Trading	Farmer Markets in private sector	Single Point Levy	Unified License
1	AP							
2	Arunachal							
3	Assam							
4	Bihar	APMC Act repealed in 2006						
5	Chhattisgarh							
6	Delhi							
7	Goa							
8	Gujarat							
9	Haryana							
10	HP							
11	J & K	APMC Act not implemented						
12	Jharkhand							
13	Karnataka							
14	Kerala	No APMC Act						
15	MP							

Status of Marketing Reforms

	States	Private Market	Direct Marketing	Contract Farming	E-Trading	Farmer Markets in private sector	Single Point Levy	Unified License
16	Maharashtra							
17	Manipur	No APMC Act						
18	Meghalaya	APMC Act not reformed						
19	Mizoram							
20	Nagaland							
21	Orissa							
22	Punjab							
23	Rajasthan							
24	Sikkim	Reforms undertaken but ACT not implemented						
25	Tamil Nadu							
	Telangana							
26	Tripura							
27	UP	APMC Act not reformed. However, direct marketing for bulk purchase under see order from time to time						
28	Uttarakhand							
29	WB							

Status of Marketing Reforms

	States / UT	Private Market	Direct Marketing	Contract Farming	E-Trading	Farmer Markets in private sector	Single Point Levy	Unified License
30	A & N Islands	No APMC Act						
31	Chandigarh (UT)							
32	Dadar & Nagar Haveli	No APMC Act						
33	Daman & Diu	No APMC Act						
34	Lakshwadeep	No APMC Act						
35	Puddhucherry	APMC Act not implemented						

e-NAM – National Agriculture Market (NAM)

- NAM Scheme approved on 01.07.2015, to be implemented during 2015-16 to 2017-18, with a budget of Rs.200 crore.
- NAM to be implemented through deployment of e-trading software in 585 wholesale markets across States and UT's.
- Software to be provided free of cost and maximum grant of Rs.30 lakh per mandi for hardware and other infrastructure.
- To be implemented by SFAC and Strategic Partner.
- Till date DPRs of 12 States/UT's approved for integration of 365 mandis.
- E-NAM has been launched on pilot basis on 14th April 2016 in 21 mandis across 8 States for trading in 25 commodities

Willingness received from States

S. No.	State	Mandis	S. No.	State	Mandi
1	Andhra Pradesh	40	13	Manipur	Consented
2	A & N(UT)	8	14	Mizoram	Willing
3	Arunachal Pradesh	5	15	Nagaland	13
4	Assam	6	16	Orissa	10
5	Chhattisgarh	14	17	Pondicherry (UT)	2
6	Chandigarh (UT)	1	18	Punjab	12
7	Jharkhand	19	19	Rajasthan	25
8	Gujarat	40	20	Telangana	44
9	Haryana	54	21	Tamil Nadu	100
10	Karnataka	100	22	Uttarakhand	5
11	Maharashtra	30	23	Uttar Pradesh	100
12	Madhya Pradesh	50		Total	678

Approved Proposals (Rs. in crores)

State /UT	No. of Mandis	Max. assist. admissible
Gujarat	40	12.00
Maharashtra	30	9 0
Telangana	44	12 165
Jharkhand	19	5 70
Chhattisgarh	05	01 50
Madhya Pradesh	50	15 00
Rajasthan	25	7.50
UT of Chandigarh	01	0.30
Haryana	54	16.20
Uttar Pradesh	66	19 80
Himachal Pradesh	19	5 70
Andhra Pradesh	12	3 60
TOTAL	365	

Pilot NAM Details

- Launched on 14-4-2016
- 21 mandis in 8 states
- Gujarat(Patan, Botad, Himmatnagar)
- Telangana(Thirumalagiri, Nizamabad, Malakpet, Warangal, Badepalli)
- Uttar Pradesh(Sultanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Bahraich, Saharanpur & Mathura)
- Rajasthan(Ramganj Mandi),
- Madhya Pradesh(Karond)
- Haryana(Ellanabad, Karnal)
- Himachal Pradesh(Solan, Shimla)
- Jharkhand(Pandra)

2. Total Production

(Million Tonnes)

Crop	2013-14 (Final)	2014-15 (Final)	2015-16 3rd Advance Estimate
Wheat	95.85	86.53	94.04
Rice	106.65	105.48	103.36
Coarse Cereals	43.29	42.86	37.78
Arhar	3.17	2.81	2.60
Gram	9.53	7.33	7.48
Urad	1.70	1.96	1.88
Moong	1.61	1.50	1.59
Total Pulses	19.25	17.15	17.06
Total Food grains	265.04	252.02	252.23

Release of 3rd Advance Estimate as on 09.05.2016

Pulses Production, Trade and Consumption (000'tons)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Production	18340	19230	17150	17060*
Imports	3840	3530	4580	5790
Export	200	340	220	260
Total Availability	21980	22440	21510	22590
Demand#	20900	21770	22680	23660
Surplus/ Deficit	1080	670	-1170	-1070

* Third Advance Estimate # Estimated by Niti Aayog

All India Average Wholesale prices of Pulses

(Rs. Per Quintal)

Pulses	May, 2016 (upto 20th)	April, 2016	May, 2015	May, 2014	% inc/dec over last month	% inc/dec over one year	% inc/dec over two year
1	2	3	4	5	6	7	8
Gram	6775	6316	5226	4357	7.3	29.6	55.5
Arhar	13295	12980	8687	6592	2.4	53.0	101.7
Urad	14269	13320	8646	6427	7.1	65.0	122.0
Moong	9332	9326	9552	8370	0.1	-2.3	11.5
Masur	7652	7510	7302	5981	1.9	4.8	27.9

All India Average Retail prices of Pulses

(Rs. Per Quintal)

Pulses	May, 2016 (upto 20th)	April, 2016	May, 2015	May, 2014	% inc/dec over last month	% inc/dec over one year	% inc/dec over two year
1	2	3	4	5	6	7	8
Gram dal	72.9	68.3	56.5	48.6	6.8	28.9	50.0
Arhar dal	141.4	138.2	91.9	70.4	2.3	53.9	100.9
Urad dal	151.6	141.4	91.3	69.1	7.2	66.0	119.5
Moong dal	101.2	100.9	102.3	89.1	0.3	-1.1	13.6
Masurdal	82.9	81.1	77.8	64.8	2.2	6.5	27.9

Monthly Movement of wholesale price index (WPI) of Pulses

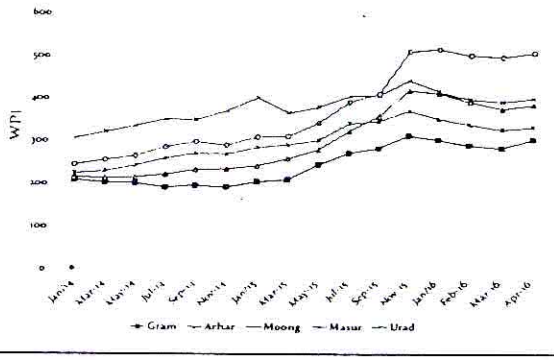

Steps taken to improve Production of Pulses

NFSM coverage for pulses

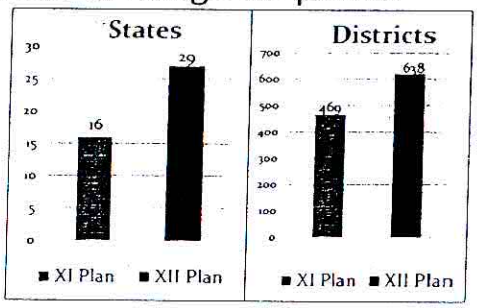

Note: Goa (2) and Kerala (14) states are also included under NFSM - Pulses from year 2016-17.

Cafeteria of cluster demonstration of pulses

- Seed of higher yielding newer varieties
- Seed treatment with fungicides/trichoderma
- Use of Micro Nutrients (Zinc, Boron , Iron , Molybdenum)
- Bio-fertilizers :Rhyzobium and PSB, Potash mobilizing bacteria and zinc solubilizing bacteria
- Use of Sulphur as a nutrient
- Use of pre and post emergence weedicide
- Use of IPM technology including mechanical devices
- Foliar spray of nutrients
- Vermi-compost

Funds allocation for NFSM-Pulses

(Rs in crores)

Year	NFSM	Pulses Release
2011-12	1350	614.30
2012-13	1850	951.03
2013-14	2250	1242.10
2014-15	2030	818.66
2015-16	1300	617.033
2016-17	1800	1100 (allocation)

Initiatives to increase pulses production

- NFSM: 50% allocation to pulses, additional allocation for rabi pulses
- BGREI to target rice fallows in Eastern India from 2015-16 onwards
- Promotion of summer moong
- Cultivation of arhar on rice bunds-NFSM, BGREI
- Demonstrations through KVKs from rabi 2015-16
- At least 30 % of cluster demonstration of rice under NFSM and BGREI- cropping system approach to increase area under pulses particularly rice fallows
- Pulses as intercrop with cereals, oilseeds and commercial crops
- FLDs of pulses -IIPR through its AICRP centres
- Formation of Farmer-Producer Organization (FPO) SFAC
- Primary processing of pulses- Mini Dal Mills

Recent initiatives to be under taken

- States
  - Subsidy on production of seeds
  - Distribution of Seed Minikits of newer varieties
  - Promotion of INM and IPM
  - Targeting Rice fallow areas
  - Provision for irrigation for pulses through PMKSY
- ICAR
  - Creation of 150 seed hubs at KVKs and SAUs
  - Enhancement of breeder seed production at ICAR and other centres
  - Bio-fertilizer and bio-control agent units at SAUs
  - Technology demonstrations through KVKs

Actionable points for States

- Create own Price Stabilisation Funds- Centre will provide 50% share
- Create Buffer stock of Pulses
- Purchase pulses from Centre's buffer stock
- Improve Storage capacity with own funds
- Increase area under pulses to enhance production
- Undertake reforms in Agri marketing
- Join National Agriculture Market

उपभोक्ता मामले विभाग

FOOD INFLATION

- ➢ Food inflation remains a cause of concern
- ➢ Prices of pulses, sugar and potato show a rising trend.
- ➢ Rising prices-
  - ✓ impact poor/vulnerable sections more
  - ✓ reduce purchasing power
  - ✓ reduce consumption /quantity intake

REASONS FOR PRICE RISE

- Mismatch between demand and supply
- Adverse weather conditions and resultant crop loss
- Poor post-harvest infrastructure i.e. cold chains, storage facilities etc.
- Lack of adequate transport facilities
- Hoarding & Black Marketing

PRICE MONITORING

✓ 22 Essential Commodities from 93 centres (LINK)

Cereals (2)	Pulses (5)	Edible Oil (6)	Vegetables(3)	Others (6)
Rice	Chana	Groundnut	Potato	Sugar
Wheat	Arhar	Mustard	Onion	Milk
	Urad	Vanaspati	Tomato	Atta
	Moong	Soya		Gur
	Masoor	Sunflower		Tea Loose
		Palm		Salt Pack

Department of Consumer Affairs(Price Monitoring Cell)

Zone wise list of reporting centres from States/UT's across the country (93 Centres)

North Zone(27)	West Zone(23)	East Zone(10)	North-East Zone(6)	South Zone(27)
CHANDIGARH	RAIPUR	PATNA	ITANAGAR	PORT BLAIR
DELHI	DURG	BHAGALPUR	GUWAHATI	HYDERABAD
HISAR	AMBIKAPUR	PURNIA	SHILLONG	KARIMNAGAR
KARNAL	BILASPUR	RANCHI	AIZWAL	VIJAYWADA
PANCHKULA	JAGDALPUR	BHUBANESHWAR	DIMAPUR	VISAKHAPATNAM
GURGAON	PANAJI	CUTTACK	AGARTALA	WARANGAL
SHIMLA	AHMEDABAD	SAMBALPUR		ADILABAD
MANDI	RAJKOT	ROURKELA		KURNOOL
DHARAMSHALA	SURAT	KOLKATA		TIRUPATHI
SOLAN	BHUJ	SILIGURI		SURYAPET
SRINAGAR	BHOPAL			JADCHERLA
JAMMU	INDORE			BENGALURU
AMRITSAR	GWALIOR			DHARWAD
LUDHIANA	JABALPUR			MANGALORE
BATHINDA	REWA			MYSORE
LUCKNOW	SAGAR			T.PURAM
KANPUR	MUMBAI			ERNAKULAM
VARANASI	NAGPUR			KOZHIKODE
AGRA	PUNE			THRISSUR
JHANSI	NASHIK			PALAKKAD
MEERUT	JAIPUR			WAYANAD
ALLAHABAD	JODHPUR			PUDUCHERRY
GORAKHPUR	KOTA			CHENNAI
DEHRADUN				DINDIGUL
HALDWANI				THIRUCHIRAPALLI
RUDRAPUR				COIMBATORE
HARIDWAR				TIRUNELVELI

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRICE TREND OF FOOD ITEMS (JANUARY TO MAY)

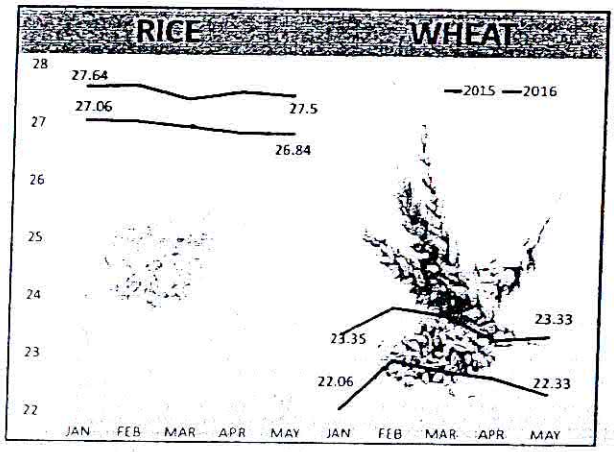

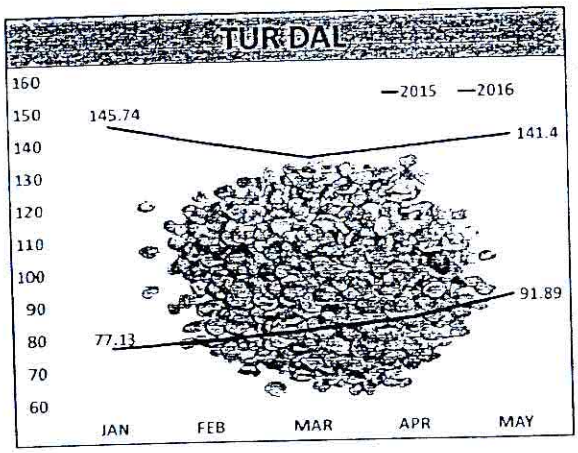
TUR DAL
—2015 —2016
145.74
141.4
91.89
77.13
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
JAN FEB MAR APR MAY

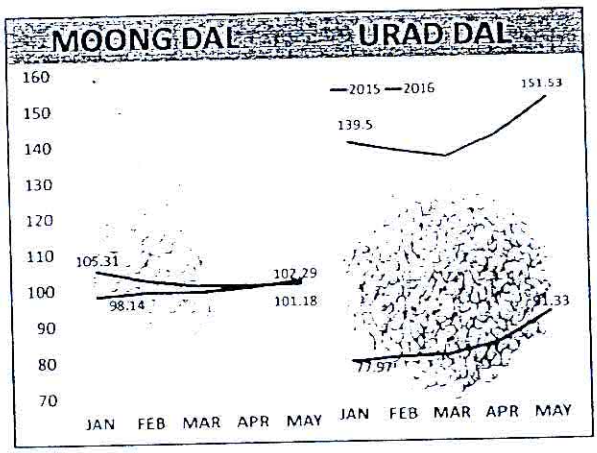
MOONG DAL
URAD DAL
—2015 —2016
151.53
139.5
105.31
107.29
98.14
101.18
91.33
77.97
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
JAN FEB MAR APR MAY JAN FEB MAR APR MAY

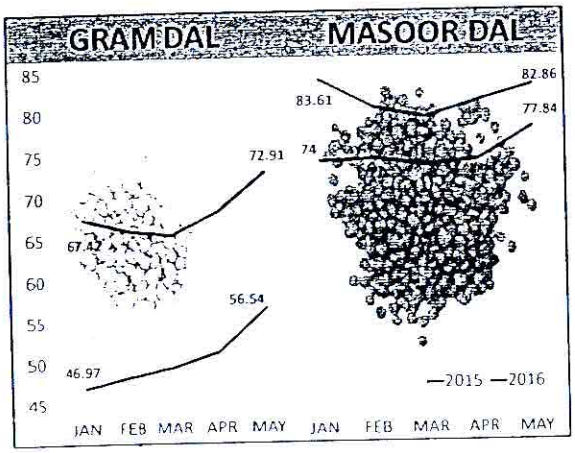
GRAM DAL
MASOOR DAL
82.86
83.61
77.84
74
72.91
67.42
56.54
46.97
—2015 —2016
85
80
75
70
65
60
55
50
45
JAN FEB MAR APR MAY JAN FEB MAR APR MAY

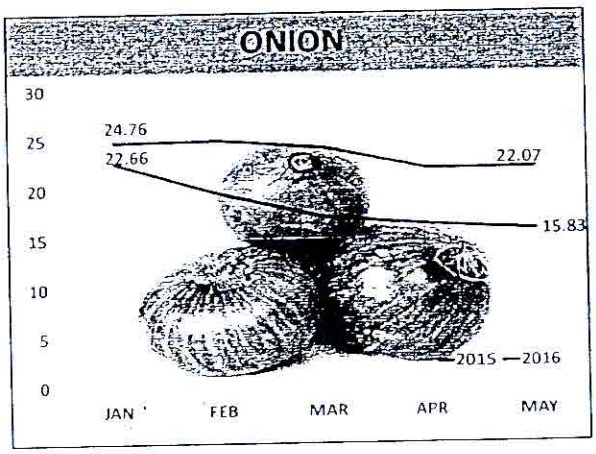
ONION
24.76
22.66
22.07
15.83
2015 —2016
30
25
20
15
10
5
0
JAN FEB MAR APR MAY

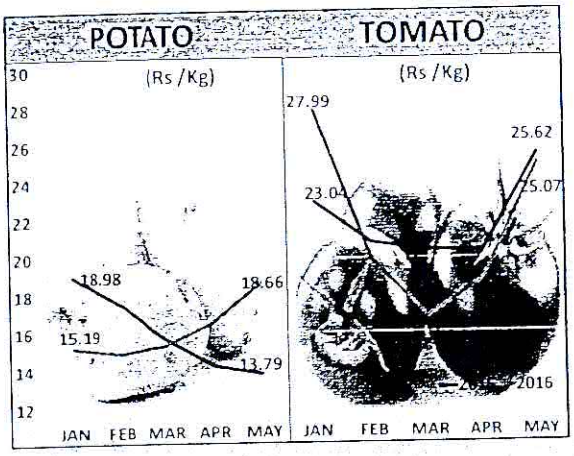
POTATO
(Rs /Kg)
18.98
18.66
15.19
13.79
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
JAN FEB MAR APR MAY
TOMATO
(Rs /Kg)
27.99
25.62
23.04
25.07
2016
JAN FEB MAR APR MAY

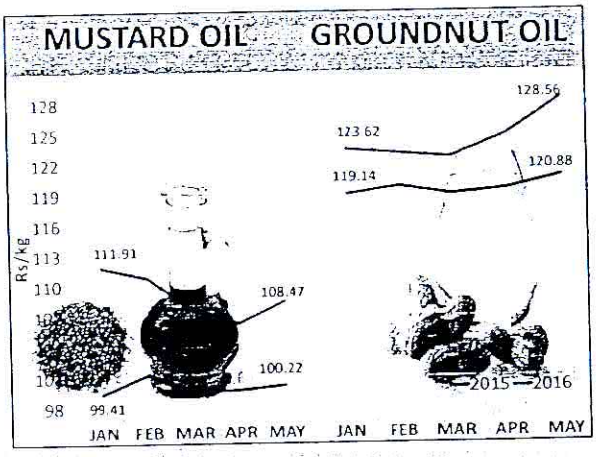
MUSTARD OIL
GROUNDNUT OIL
128.56
123.62
120.88
119.14
111.91
108.47
100.22
99.41
Rs/kg
128
125
122
119
116
113
110
98
2015 —2016
JAN FEB MAR APR MAY JAN FEB MAR APR MAY

SUNFLOWER OIL & SOYA OIL

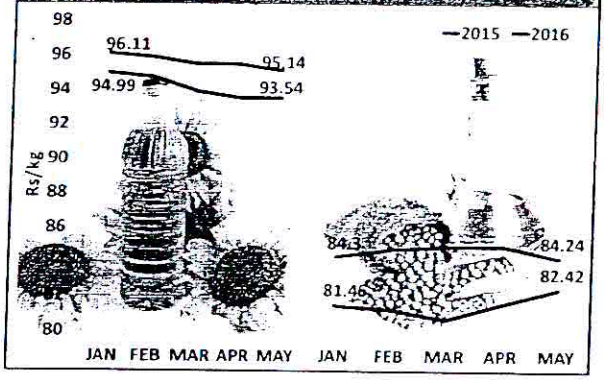

VANASPATI & PALM OIL

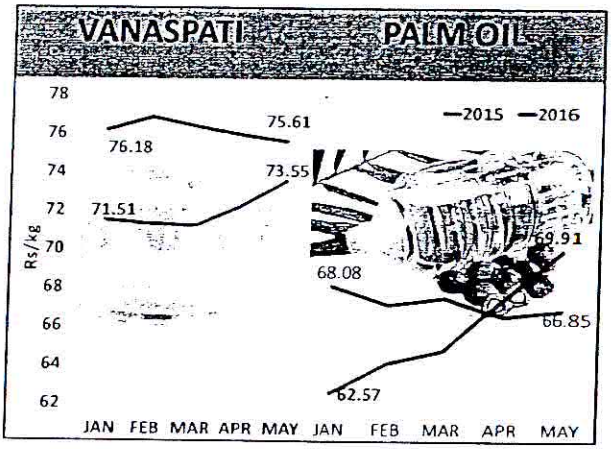

MILK & SUGAR

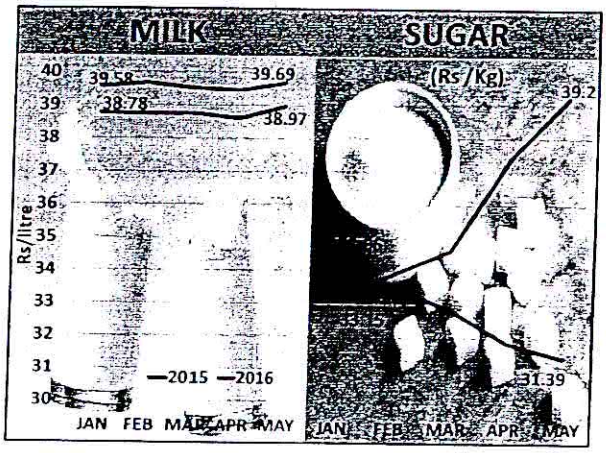

PRICE STABILISATION FUND SCHEME

- 12th Plan Scheme set up with initial corpus of Rs 500 crore.
- Scheme approved by SFC on 23rd Dec' 14.
- Transferred to DoCA w.e.f. 1st April, 2016
- Objective - ensure availability and stability of prices of onion, potato and pulses in the interest of consumers and farmers.
- Funds released for creation of buffer stock of onion and pulses as well as to state government on proposals approved.
- As of now, a total amount of Rs 881.5 crore has been released to Central agencies & State governments. (link)

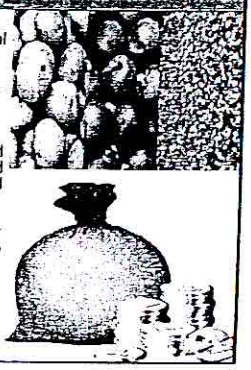

OUTLAY/EXPENDITURE - PSF

IN RS. CRORE

2014-15		2015-16			2016-17	
BE	ACTUALS	BE	RE	ACTUALS**	BE	ACTUALS
50	0.00	450	660	710*	900	171.5

*Includes Rs 50 crore from 2014-15, it being revolving fund

**Includes allocation to States for setting up State level PSF (Rs 32.075 crore)

SPECIFIC MEASURES TAKEN TO CONTROL PRICES

PULSES – AVAILABILITY & REQUIREMENT

Production, Imports and Demand of total pulses during last 10 years

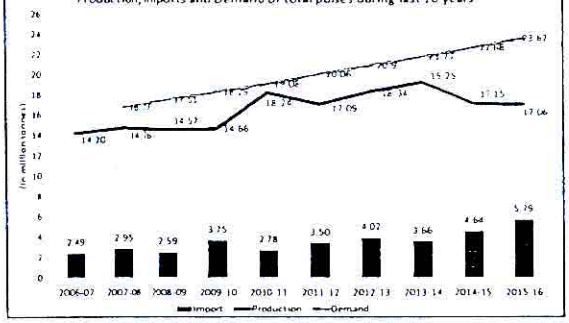

PULSES

- Creation of buffer stock of 1.5 lakh tonnes.
- Allocation of 10,000 MT of pulses from buffer stock to States/ UTs for retailing @ Rs 120/- per kg.
- Import of 18500 MT of Tur and 15000 MT of Urad.
- Increased MSP for kharif and rabi pulses.
- Ban on export of all pulses, except Kabuli Chana and Organic pulses & lentils up to 10,000 MTs
- Import allowed at zero import duty
- Stock limits imposed up to 30.9.2016, under EC Act, 1955
- Group of Officers set up for regular monitoring and exchange of information on hoarding, cartelization etc.

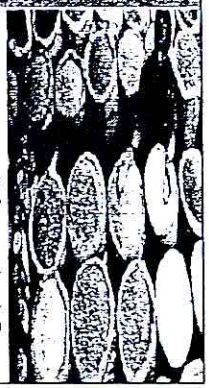

EDIBLE OIL

- More than 50% of the consumption requirement is met through imports major share of which is palm oil.
- Production of oilseeds during 2015-16 is estimates to be lower than 2014-15.
- These may put pressure on prices of oil.
- To improve availability & moderate prices of oil
  - export of edible oil in bulk is prohibited except coconut oil.
  - other edible oil in branded consumer pack of up to 5kgs is permitted with MEP of USD 900 per MT.
  - MSP increased for various rabi and kharif oil seeds

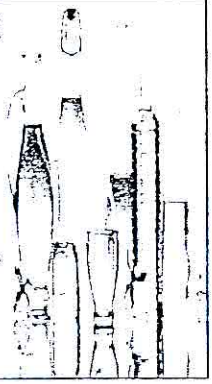

OTHERS

- ONION
  - ✓Creation of buffer stock of 15000 MT of onions has been approved.
  - ✓Expert team sent to Madhya Pradesh & Rajasthan for evaluating feasibility of procurement of onions.
  - ✓Stock limits extended up to 2nd July 2016 under the Essential Commodities Act
- SUGAR
  - ✓Order on imposition of stock limits notified on 29.4.2016

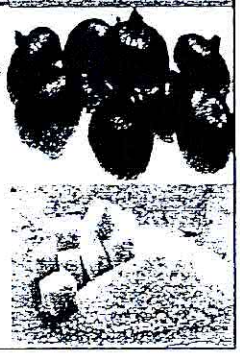

PROPOSED ACTION PLAN

- Strengthening of price reporting mechanism (LINK)
- Focus on availability and prices of essential food items including pulses, edible oils & vegetables
- Special focus on areas prone to shortages
- Augmenting existing storage capacity.
- Engaging independent private agency for forecasting prices, demand, supply including global trends
- Long term contracts to be explored for import of pulses.
- Strong action to prevent hoarding and black marketing.
  - Stock limits (link)
  - Enforcement Actions (link)
  - Pricing policy (link)

ISSUES IN PRICE MONITORING

- Information is voluntary and non-regular.
- Low representation from Eastern and North-Eastern region.
- ACTION PROPOSED/INITIATED:
  - ✓Increasing the number of reporting centres from 93 to 100 by the end of 2017 and better spread of these centres across region.
  - ✓Ensure regular reporting including on Saturdays and Sundays.
  - ✓On the spot inspection

IMPOSITION OF STOCK LIMITS

- STATUS
  - Currently stock limits can be imposed on Pulses, Edible Oils, Edible Oilseeds, Onions and Sugar under the EC Act.
  - Pulses: Except NE-States, West Bengal and Uttarakhand . MP has imposed stock limits on Tur, Moong, Urad and Masoor only.
  - Edible oils & Edible Oilseeds: Except Assam, Gujarat, Kerala, MP, UP, Uttarakhand and WB, all other states have imposed stock limits.
  - Onions: only A&N Islands, Chandigarh, HP, J&K, Jharkhand, Odisha, Telangana and WB have imposed stock limits.
  - Sugar: order notified on 29.4.2016. States yet to decide
- ISSUES ASSOCIATED WITH IMPOSITION
  - Non Uniformity
  - More clarity required on imposition in respect of Importers and Millers
  - Different criteria for Producer states and Consumer states
  - Geographical contiguity would require some uniformity

ENFORCEMENT ACTION UNDER THE EC ACT AND PBMMSEC ACT

- During 2015 a total of 134438 raids conducted , 1835 arrests made, 822 prosecuted, but convictions only 59
- Preventive detention of 227 persons(196 by TN and 28 by GJ)
- Special drive by the states from October to December 2015 -14 484 raids were conducted, 1,33,884 MT of pulses was seized
- Issues associated with Enforcement actions
  - Monthly ATRs not being received regularly
  - Preventive detentions being done only by three ,four states
  - Disposal of pulses seized during special drive remain pending for a long time
  - Frequency, coverage and continuity of raids
  - Dedicated police units like in Tamil Nadu

PRICING POLICY OF ESSENTIAL COMMODITIES

- Section 3(2) (c) empowers government to fix the purchase and selling prices of essential commodities
- States can consider the feasibility and desirability of invoking this provisions
- In case the provisions are invoked, commensurate regulation and enforcement action would be required

PROGRESS IN PROCUREMENT

PULSES

- Procurement of 50424 MT of kharif pulses i.e. Tur and Urad against the target of 50000 MT.
- Procurement of Rabi pulses i.e. Chana & Masoor is being under taken from RMS-2016-17. As on 19.05.2016, 31036.53 MT of rabi pulses have been procured.

ONION

- Against the target of procurement of 15000 MT of onions, 11431.299 MT has been achieved by SFAC & NAFED.

ALLOCATION TO STATES FROM PSF

State	Total Working capital advances from PSF to be released	Agri Commodity	Release (Rs. Crore)
Telangana	Rs.9.15 crore	Onion	9.15
Andhra Pradesh	Rs.50.0 crore	Onion, Pulses & potatoes	25.00
West Bengal	Rs.5.00crore	Onion	2.50
GRAND TOTAL	Rs.54.15 crore		32.075

FOOD ITEMS OF CONCERN

(for year 2015-16)

PULSES		SUGAR	
AREA (MILLION HECTARE)	24.85	PRODUCTION (MT)	24.6 (27.6)
PRODUCTION (MMT)	17.06 (17.33)	CONSUMPTION ESTIMATE (MT) *	25.6
IMPORTS (MMT)	5.79	POTATO	
EXPORTS (MMT)	0.26	AREA (MILLION HECTARE)	2.085
TOTAL AVAILABILITY (MMT)	22.59	PRODUCTION (MMT)	48.096 (45.03)
DEPENDENCY RATIO (%)	25.63		
DEMAND (MMT)	23.66		
SURPLUS/DEFICIT (MMT)	-1.07		

* 2014-15

- Provides for extending assistance to States on 50 50 sharing basis for setting up of State level PSF to facilitate market intervention operations by them.
- The assistance to North Eastern states is given on 75 25 sharing basis.
- Assistance under the scheme already provided to Andhra Pradesh, Telangana and West Bengal, based on the proposals received

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

National Food Security Act

- Being implemented in 33 States/UT, covering more than 72 crore persons.
- Remaining 3 States - Kerala, Tamil Nadu, Nagaland - to apprise their status of preparedness and likely date of implementation
- Implementation issues – women head of family, grievance redressal mechanism, transparency in distribution of 'tide over' allocation, framing of Rules
- Directions of the Supreme Court on Food Security

Aadhaar Seeding in Ration Cards

56.05% (13.35 Cr./23.82 Cr.) Ration Cards seeded with Aadhaar numbers

Status		States/UTs	
Completed (3 States/UTs)	100%	AP, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana, and Chandigarh	
Near Completion (3 States/UTs)	> 90%	Goa, Himachal Pradesh, Kerala, Delhi, Puducherry	
Advance Stage (3 States/UTs)	> 80%	Punjab, Tripura, Maharashtra, Haryana, Daman & Diu	
Progressing Stage (21 States/UTs)	0 – 80%	Timeline	States/UTs
		Jul' 2016	8 States/UT: Jharkhand, Gujarat, Odisha, J&K, WB, MP, and UK, and Lakshadweep
		Sept' 2016	1 State: Bihar
		Dec' 2016	2 States: Arunachal Pradesh and Tamil Nadu
		Jan' 2017	1 State: Uttar Pradesh
		Mar' 2017	9 States/UTs: Assam, Meghalaya, Karnataka, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Dadra & Nagar Haveli, A&N Islands

Supply-chain Automation

- Computerization of Godowns and Offices
- Online reports of Stock Position in Godowns
- Stock movement: FCI – State Godowns – FPS
  - Online generation of Release Order, Delivery Order, Truck Challans, Gate Pass, etc.
  - Online payments and
  - SMS alert to FPS dealer/registered beneficiaries

Completed (13 States/UT)	Partially Completed (3 States/UT)	Committed Date for Completion (8 States/UT)	Not given any plan (9 States/UT)
Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Karnataka, MP, Odisha, TN, Telangana, Tripura, West Bengal	Daman & Diu, Jharkhand, Maharashtra	Jun'16: Haryana, HP, Kerala Jul'16: Meghalaya, Rajasthan, Sikkim Sep'16: Manipur Dec'16: Arunachal Pradesh	A&N, Assam, D&NH, J&K, Mizoram, Nagaland, Punjab, Uttarakhand & Uttar Pradesh

Fair Price Shop (FPS) automation

Status	No. of States / UTs	Name of States/UTs
Advance (>90%)	4	Andhra Pradesh, Daman & Diu, Gujrat, Madhya Pradesh
Progressing (50-90%)	2	Chhattisgarh & Rajasthan
Initial Stage (<50%)	11	A&N, Tamil Nadu, Delhi, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Lakshadweep, Sikkim, Telangana
No Tender	17	Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, D&N Haveli, J &K, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Odisha, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal

Decentralized/ Online Procurement

- Mandatory implementation of online procurement system by Kharif 2016-17
- Adoption of Decentralized Procurement System is a priority for efficient procurement

S. N.	Non-DCP States		
1	Uttar Pradesh	Wheat	Rice
2	Maharashtra	Wheat	Rice
3	Rajasthan	Wheat	Rice
4	Haryana	Wheat	Rice
5	Jammu & Kashmir	Wheat	Rice
6	Punjab	—	Rice
7	Jharkhand	—	Rice
8	Assam	—	Rice
9	Gujarat	—	Rice
10	Himachal Pradesh	—	Rice

Online Procurement of Foodgrains

States with full e-procurement	States with partial e-procurement	States without e-procurement
1. Andhra Pradesh 2. Chhattisgarh 3. M.P. 4. Telangana	1. Haryana 2. Karnataka 3. Odisha 4. Punjab 5. Rajasthan 6. W.B	1. Assam 2. Bihar 3. Gujarat 4. Jharkhand 5. Maharashtra 6. Tamil Nadu 7. U.P.

Action Plan for construction of 100 LMT Silos

Year	Phase	Selection of Silo Operator (LMT)	Silo Completion (LMT)
2016-17	1	36.25 LMT	5 LMT
2017-18	2	29.0 LMT	15 LMT
2018-19	3	34.75 LMT	30 LMT
2019-20			50 LMT
Total		100 LMT	100 LMT

State Wise targets for construction of Silos:

Capacity in LMT

State	Phase I	Phase II	Phase III	Total
Punjab	12.75		5.00	17.75
UP			5.00	5.00
MP	5.00		5.00	10.00
Haryana			4.50	4.50
Bihar		4.00		4.00
West Bengal			3.00+0.50	3.50
Rajasthan		3.50	1.25	4.75
AP & Telangana			3.00	3.00
Gujarat			2.00	2.00
Odisha			2.00	2.00
Maharashtra	0.50			0.50
Delhi				
Chattisgarh				
Assam				
Karnataka				
FCI	18.00	20.00	1.00	39.00
CWC	0.50	1.50	0.50	2.50
Total	36.75	29.00	34.75	100.00

अनुलग्नक-V

राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग संबंधी मुद्दे

हरियाणा

बी.ई.एल. और विजनटेक द्वारा राज्य में ई-बिक्री केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यद्यपि, सभी एफ.पी.एस. में ई-बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित समय-सीमा दिसंबर 2016 है, राज्य सरकार इसे 1 नवम्बर, 2016 से पहले पूरा करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में आधार-सीडिंग 87% है। एस.आर.डी.एच. के जरिए की जा रही सीडिंग के प्रयास के बेहतर परिणाम नहीं निकल रहे हैं। गांव के नामों और परिवारों के नामों का रिकार्ड में मिलान नहीं हो पा रहा। इसके अतिरिक्त सीडिंग में कठिनाई हो रही है क्योंकि अधिकांश अनसीडिड राशन कार्ड नकली हैं और इसलिए कार्ड-धारक आधार कार्ड के साथ आगे नहीं आ रहे। यदि आधार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया जाए तो संपूर्ण सीडिंग प्रक्रिया को एक माह के अन्दर पूरा किया जा सकता है। महानिदेशक, यू.आई.डी.ए.आई. ने बताया कि विनियमन तैयार किए जा रहे हैं और अधिनियम को कुछ सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बीच, राज्य सरकारें लाभार्थी को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए और अधिक सबूत देने के लिए कह सकती हैं और इससे नकली कार्डों की पहचान करने में मदद मिलेगी और आधार सीडिंग प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी। सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों जिन्होंने 100% सीडिंग की व्यवस्था की है के अनुभव से सीखने की सलाह दी।

2. नकद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने के लिए महिला मुखिया के नाम बैंक खाते की आवश्यकता के संबंध में राज्य ने महसूस किया है कि प्रौढ़ महिला के मामले में यह प्रावधान कठिनाई पैदा करेगा। ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संयुक्त खातों का प्रावधान करने की सलाह दी गई।

महाराष्ट्र

3. राज्य सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा फोटोग्राफी के जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण और तुलना का उपयोग करके आधार सीड किए जाने का सुझाव दिया। चूंकि जनसांख्यिकीय मिलान केवल लगभग 30% मामलों में होता है, अत:, मिलान के लिए डाटाबेस और आधार सीड के लिए फोटोग्राफ का उपयोग करना लाभदायी होगा। आधार सीडिंग के लिए अस्पष्ट तर्क के प्रयोग के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए।

4. महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बताया कि बड़ी मात्रा में जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान पहले से ही है, हालांकि फोटोग्राफ का मिलान करने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अस्पष्ट तर्क तकनीक का उपयोग किया और इसे अविश्वसनीय पाया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्योंकि विभिन्न डाटाबेस (उदाहरणत: राशन कार्ड डाटाबेस और पैन डाटाबेस) में व्यक्तियों के नाम अलग-अलग तरीके से लिखे गए हैं, ऐसे मामलों में सही मिलान होने की संभावना बहुत कम होती है। जनसांख्यिकीय मिलान के दौरान आई कुछ समस्याओं का मुकाबला करने के लिए राज्य

(क) आधार में दिए गए नामों और (ख) आधार नंबर के संग्रह के दौरान आधार की प्रतिलिपि एकत्रित कर सकते हैं। यह ऐसे मामलों के सत्यापन में मदद करेंगे जहां नाम नहीं मिलते हैं।

ओडिशा

5. राज्य सरकार, राशन कार्डों के निर्माण के लिए आधार के रूप में एन.पी.आर. का उपयोग कर रही है। 64% राशन कार्डों को आर.जी.आई. द्वारा बताए गए एन.पी.आर. रिकार्डों का प्रयोग करके आधार के साथ सीडिड किया जा चुका है। तथापि, राज्य को अभी भी आर.जी.आई. से आंकड़े प्राप्त करने हैं। राज्य आर्गेनिक सीडिंग प्रक्रिया का प्रयोग करके आंकड़ों को सीड करने के बारे में विचार कर रहा है।

छत्तीसगढ़

6. राशन कार्डों में यूनिट लेवल आधार सीडिंग अभी भी बहुत कम है। परिवारों के बहुत से सदस्यों को सीडिड नहीं किया गया है अथवा उनका आधार नम्बर सृजित नहीं हुआ है। आधार नंबर के नामांकन के लिए आवेदन और आधार नम्बर के सृजन के संदर्भ में भी बहुत अंतर हैं।

7. महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बताया कि अधिकांश राज्यों में 90% व्यस्क जनसंख्या ने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। तथापि 5-18 और 0-5 वर्ष के आयु समूह की बड़ी जनसंख्या को शामिल किया जाना अभी भी बाकी है। अत:, वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में विशेष अभियान के जरिए 5-18 और 0-5 वर्ष के आयु समूह के नामांकन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लक्ष्य इस प्रक्रिया को अगले 2-3 माह में पूरा करने का है। मामलों की लंबित संख्या (नामांकन और सृजन के बीच अंतर) मुख्यत: आवेदनों के रद्द होने के कारण है, अन्यथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की क्षमता एक दिन में 20 लाख आधार (वर्तमान में दिन में 5-6 लाख आधार की तुलना में) तैयार करने की है।

उत्तर प्रदेश

8. राशन कार्ड में आधार सीडिंग डाटा आधार 40% है। राज्य सरकार आर्गेनिक सीडिंग के लिए सी.एस.सी. के टाई-अप करने की सोच रही है। तथापि, वे प्रत्येक व्यक्ति की सीडिंग के लिए 5 रुपए वसूलते है। अत: यदि भारत सरकार इस उद्देश्य के लिए घटक-I से निधियों के उपयोग की अनुमति देती है तो राज्य सीडिंग प्रक्रिया को तेज कर सकता है। प्रगति की निगरानी के लिए राज्य द्वारा मुख्य सचिव से नियमित बैठकें की जाती है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन अधिप्राप्ति के कार्यान्वयन के लिए भी निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया।

9. राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियों का उपयोग आधार सीडिंग के लिए करने का प्रस्ताव भेजे।

10. राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न आने वाली जनसंख्या को शामिल करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों के आबंटन का अनुरोध भी किया है जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है। राज्य सरकार को शीघ्र ही प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

11. साइलोस के संबंध में, यह बताया गया कि राज्य सरकार गैर-रेलवे साइडिंग साइलोस बनानेकी इच्छुक है। यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार इसे बैगिंग सुविधा के साथ कर सकती है।

त्रिपुरा

12. वर्तमान में राशन कार्डों में 93% आधार सीडिंग प्राप्त कर ली गई है। शेष को कवर करने के लिए उचित दर की दुकानों के जरिए आर्गेनिक सीडिंग की जाएगी।

आंध्र प्रदेश

13. राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्वचालित बनाने पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं और भारत सरकार को प्रतिपूर्ति आधार पर अपना हिस्सा रिलीज करने का अनुरोध किया है।

झारखंड

14. राज्य में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिए जाने से, अक्तूबर-नवम्बर महीनों में खाद्यान्नों का उठान समय पर नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने समय के विस्तार के लिए सहानुभूति पूर्ण विचार करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने रैकों के तीव्र संचालन के लिए अनुरोध किया है ताकि किसी भी जिले में खाद्यान्नों की कोई कमी न हो।

कर्नाटक

15. राज्य सरकार ने डी.सी.पी. भुगतानों की प्रक्रिया और लेखों को अंतिम रूप से तैयार करने में सरलीकरण के लिए अनुरोध किया है। खाद्यान्नों के अंतर- राज्यीय संचालन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्रीय सहायता और उचित दर की दुकानों के डीलरों का मार्जिन भी शीघ्र रिलीज करने का अनुरोध किया गया।

हरियाणा

16. राज्य सरकार ने डी.सी.पी. में शामिल होने में आनाकानी दिखाई क्योंकि राज्य सरकार की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम की तरह सुसज्जित नहीं है।

17. विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित कार्य बिंदु सामने आए हैं।

(i). तमिलनाडु, केरल और नागालैंड राज्यों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन शीघ्र किया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने के बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाए।

(ii). राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के तहत महिला सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र संबंधी उपबंध का अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

(iii). आबंटन प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके वितरण के लिए पारदर्शी नीति अपनानी होगी, ऐसे लाभार्थियों की अलग सूची को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर डाला जाना चाहिए।

(iv). आधार सीडिंग और एफ.पी.एस. स्वचालन के पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च 2017 है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्रवाई योजना तैयार करनी चाहिए और इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को बताना चाहिए।

(v). ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां ई- बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं और संचालन में है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संव्यवहार ब्यौरे और सार रिपोर्ट पी.डी.एस. पोर्टल पर भी उपलब्ध हो।

(vi). एन.एफ.एस.ए./टी.पी.डी.एस. लाभार्थी डाटाबेस में अंतर जैसे कि एन.एफ.एस.ए. और गैर-एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों के गैर-पृथक्करण, प्रशिक्षण सुविधा आदि में कमी को शीघ्र निपटाया जाए।

(vii). एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित दर की दुकानों के स्तर तक खाद्यान्नों का ऑनलाइन आबंटन, यदि पहले नहीं किया गया है, तो दो माह के अंदर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(viii). खरीद करने वाले सभी राज्यों को के.एम.एस. 2016-17 से ऑनलाइन खरीद करनी चाहिए।

(ix). साईलोस के लिए राज्य-वार चरणबद्ध निर्माण योजनाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकारें पहले से निर्धारित की गई समय-सीमा को बढ़ा सकती हैं।

(x). भारतीय खाद्य निगम को प्रत्येक राज्य में वितरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस संबंध में झारखंड और बिहार की सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

(xi). खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य की स्कीम को जुलाई, 2016 से शुरू किया जाना चाहिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में अपने भंडारों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(xii). स्वराज अभियान मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.05.2016 के आदेश के अनुपालन के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जून, 2016 के पहले सप्ताह तक भेज दी जानी चाहिए।

अनुलग्नक- VI

राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा

उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित मामले

सचिव (उ.मा.) ने चर्चा आरंभ करते हुए उल्लेख किया कि पिछली बैठक में एक कार्य योजना तैयार की गई थी और संभवत: राज्य उस पर कार्य कर रहे होंगे। इस वर्ष मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत दालों का बफर स्टॉक सृजित किया गया। परन्तु बफर स्टॉक से दालों को लेने वाले राज्य बहुत कम है। उन्होंने मांग न करने वाले सभी राज्यों से दालों की खरीद और उठान के लिए मांग पत्र प्रस्तुत न करने के कारण बताने का अनुरोध किया। राज्य वार टिप्पणियां निम्नानुसार है:-

1. **महाराष्ट्र :-** 500 मीट्रिक टन दालों की मांग प्राप्त हुई थी, शेष मात्रा की खरीद राज्य द्वारा स्वयं की जा रही है।
2. **हरियाणा:-** राज्य में अन्य दालों की तुलना में चने का उपभोग अधिक होता है। मिल मालिकों के लिए स्टॉक सीमाओं को संशोधित किया गया है। स्टॉक सीमाएं निर्धारित करने के लिए, स्वीकृत क्षमता के औसत की बजाय, पिछले वर्ष की वास्तविक खपत के औसत का प्रयोग किया गया है।
3. **उड़ीसा:-** 5000 मीट्रिक टन तूर की मांग की गई। तूर की अधिक मात्रा अपेक्षित है। उन्होंने, अन्य राज्यों से दालों पर स्टॉक सीमाओं संबंधी सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
4. **झारखंड:-** पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दालों के सभी प्रमुख डीलरों के साथ बैठक आयोजित की और मामले पर चर्चा की थी। उस समय भिन्न-भिन्न दालों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सहकारिताओं को शामिल किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि मूल्यों के संबंध में थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों से बातचीत करना बेहतर होगा।
5. **बिहार:-** बिहार में कोई मिल की सुविधा नहीं है। 95% तूर की खरीद अन्य राज्यों से की जाती है। राज्य में मुख्यत: मसूर का उपभोग होता है जो कि दालों के कुल उपभोग का 50% है। यहां पर मसूर को प्रमुख दाल के रूप में उगाया जाता है, शेष दालें अन्य राज्यों से आयात की जाती हैं।
6. **मध्य प्रदेश:-** 5000 मीट्रिक टन तूर की मांग की गई है। चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत 15 मामले दर्ज किए गए हैं।
7. **कर्नाटक:-** राज्य ने विधिक माप विज्ञान से संबंधित कुछ मामलों को उठाया है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम की अनुसूची के विस्तार की मांग की गई। राज्य ने स्टॉक सीमाओं पर कुछ अलग प्रकार के दिशा-निर्देशों का सुझाव दिया।
8. **उत्तराखंड:-** राज्यों में दाल की कोई मिल नहीं है। उन्होंने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि राज्य में कीमतें नियंत्रण में हैं।
9. **अरुणाचल प्रदेश:-** राज्य में कोई दाल मिल नहीं है और राज्य में कीमतों की भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने दालों के लिए मांग भी प्रस्तुत नहीं की है।

10. **हिमाचल प्रदेश:-** राज्य में कोई दाल मिल नहीं है और अभी तक कोई मांग नहीं भेजी गई है। राज्य में कीमतों की कोई समस्या नहीं है।

11. **केरल:-** स्टॉक सीमाओं का कोई मामला नहीं है। राज्य, दालों पर स्टॉक सीमाओं का समर्थन नहीं करता। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए दालों के व्यापारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है। कीमतें नियंत्रण में हैं। 6 केंद्रों द्वारा पीएमसी को मूल्य संसूचित किए जा रहे हैं।

12. **सिक्किम:-** दालों की कीमतों की कोई समस्या नहीं है। दालों के उत्पादन के संबंध में राज्य जैविक दालों को अपना रहा है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य में कोई दाल मिल नहीं है। कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **त्रिपुरा:-** राज्य में कोई दाल मिल नहीं है। मसूर दाल पसंद की जाती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि आयातित दालों को मिलिंग के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भेजा जा सकता है।

14. **महाराष्ट्र:-** यह राज्य, स्टॉक सीमाओं का तर्कसंगत बनाए जाने का समर्थन करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रवर्तन कार्य भी युक्तिसंगत होना अपेक्षित है। आयातकों द्वारा लेन देन के प्रथम चरण हेतु आयातकों के लिए 45 दिनों का समर्थन किया गया था अर्थात् आयात के उतरने की तारीख से बाजार में पहुँचने तक मांगी गई दालों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। पिछले वर्ष डीलरों के साथ चर्चा के पश्चात राज्य द्वारा खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे। राज्य ने दालों के संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसे राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है।

15. **मेघालय:-** राज्य दालों की मांग भेज रहा है। स्टॉक सीमाएं लागू नहीं है। राज्य में मिलें नहीं है।

16. **आंध्र प्रदेश:-** राज्य ने दालों का उठान किया है और उनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से न करके बिक्री केंद्रों के माध्यम से कर रहा है। राज्य स्टॉक सीमाओं के युक्तिसंगत होने का समर्थन करता है।

17. **उत्तर प्रदेश:-** राज्य ने चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत राज्य परामर्शी बोर्ड गठित किया है। छापे मारे जा रहे है परन्तु नजरबंदी के आदेश नहीं दिए गए हैं।

18. **असम:-** राज्य में कोई दाल मिल नहीं है। राज्य स्टॉक सीमाओं के पक्ष में नहीं है। कीमतें नियंत्रण में हैं। व्यापारियों के साथ नियमित बैठके आयोजित की जा रही है और छापे मारे जा रहे हैं। मसूर और मूंग दालों की आवश्यकता है। राज्य अपनी आवश्यकता को प्रस्तुत करेगा।

राज्य के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के पश्चात दालों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1. राज्यों को, कितना उत्पादन है, कितना उपभोग है और इस अंतर को कैसे भरा जाए, के संबंध में सूचना भेजनी चाहिए।

2. मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत बफर स्टॉक को राज्यों द्वारा नीतिगत बाजार हस्तक्षेप के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली या बाजार नियंत्रण न किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का पता लगाया जाए। कीमतों को उचित स्तर पर रखने के लिए राज्यों द्वारा बफर स्टॉक को वास्तविक समय आधार पर बाजार हस्तक्षेप के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मांग की गई वस्तु सरकार के पास उपलब्ध न हो। यदि सरकार बफर स्टॉक के बिना या बफर स्टॉक से दालों के मूल्यों को नियंत्रित कर सकती है, तो यह लिखित में सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा मूल्य वृद्धि की जवाबदेही राज्य की होगी।

3. राज्यों को, चने के संबंध में राज्यों को अपनी मांग प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है तब उसे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. बफर स्टॉक से दालों के उठान के बाद, राज्यों द्वारा शीघ्र भुगतान किया जाए।

5. दालों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए, दालों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा दीर्घकालिक योजना तैयार की जानी चाहिए।

6. जिन राज्यों में दाल मिलें नहीं है, वे मूल्य निगरानी कक्ष से सहायता ले सकते हैं और जिन राज्यों में दाल मिलें हैं वे मिलर के साथ सम्पर्क करके उनकी मदद ले सकते हैं।

7. चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(2)(ग), राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के उस मूल्य जिस मूल्य पर उसे बेचा या खरीदा जा सकता है, का निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान करता है, राज्यों को दालों के व्यापारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके कीमतों का निर्धारण करना चाहिए जैसा कि झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है।

8. यदि राज्यों को दालों की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें शून्य मांग लिखित में इस आश्वासन के साथ देनी चाहिए कि वे केन्द्र सरकार के बफर स्टॉक से दालें लिए बिना ही दालों के मूल्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह सूचना ई-मेल द्वारा भी दी जा सकती है।

9. आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम और विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में सभी राज्यों द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रशासन की मौजूदगी ही नहीं होनी चाहिए परन्तु लोगों द्वारा उसे महसूस भी किया जाना चाहिए। इसलिए राज्य प्रशासन को प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए।

10. राज्यों को विधिक माप विज्ञान के तहत नियम बनाने चाहिए और आवश्यकता होने पर केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए।

11. राज्यों को, अधिकतम न्यूनतम सीमाओं के कारकों, उत्पादक एवं गैर-उत्पादक राज्यों, उपभोग के तरीके इत्यादि को ध्यान में रखते हुए दालों पर स्टॉक सीमाओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों, मिलरों इत्यादि दालों की स्टॉक सीमाओं के युक्तिसंगत होने के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

12. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं के लिए तमिलनाडु के समर्पित नीतियों के मॉडल के प्रतिरूप को अपनाने के संबंध में राज्यों को टिप्पणी देनी चाहिए। तमिलनाडु राज्य में एक विभाग है जिसे तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति अपराध जांच विभाग कहा जाता है और यह खाद्य, सहकारिता और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव के नियंत्रण में कार्य करता है।

13. राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्र दैनिक रूप से और सही रिपोर्टें भेज रहे हैं। सूचना शनिवार और रविवार को भेजी जानी चाहिए।

14. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों को चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत 6 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है। इसे अपनाने वाले राज्य चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सी.एस.सी.आई.डी. पुलिस से परामर्श ले सकते हैं।